

कार्यालय

पत्रांक: 2217 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 12 जून, 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
  - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
  - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
  - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
  - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
  - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
  - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।





प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 12.06.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 44 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 04-चौक बाजार, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम एवं मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर एवं तुलसी मार्केट, कालाआम, बुलन्दशहर हॉटस्पॉट नगर बुलन्दशहर में बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 40 हॉटस्पॉट-मौ0 पीरजादगान खुर्जा, ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद, ग्राम ढोंका थाना अहमदगढ़, कायस्थवाड़ा (गुरुद्वारे के सामने) सिकन्द्राबाद, खत्रीवाड़ा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद, ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 सरावगीवाड़ा, सिकन्द्राबाद, मौ0 काजीखेल डिबाई, मौ0 मदनभट्ट सिकन्द्राबाद, मौ0 पीली कोठी (निकट जेवर अड्डा चौक) खुर्जा, ग्राम मडावरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम राशिदपुर, वि0ख0 लखावटी, तहसील सदर, मौ0 पुरानी सब्जी मण्डी, औरंगाबाद, ग्राम ततारपुर, वि0ख0 अगौता, तहसील सदर, ग्राम कीरतपुर, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम दस्तूरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम दरियापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 छांसियावाड़ा सिकन्द्राबाद, मौ0 पीरगान वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, मौ0 सर्राफा बाजार गुलावटी तहसील सदर, मौ0 टीचर्स कालौनी वार्ड सं0-21 सिकन्द्राबाद, ग्राम सलैमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, सलैमपुर रोड (डॉ0 कालीचरन के क्लीनिक के पास), सिकन्द्राबाद, मौ0 तेलियान, नगर पंचायत ककोड़, मौ0 बाजार कलौ, डिबाई, मौ0 सैनीवाला, ग्राम अमरपुर वि0ख0 ऊँचा गांव, तहसील स्थाना, ग्राम खडूपुरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0 होली ब्रहमनान खुर्जा, माजरा नगला कोठी, ग्राम बोरोली, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0 शिवाजी नगर सिकन्द्राबाद, ग्राम गंगावास, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, मौ0 हंसिया गंज, डिबाई, ग्राम गोविन्दपुर, वि0ख0 व तहसील डिबाई, एस0डी0एम0 कालौनी, सिकन्द्राबाद, मौ0 बस स्टैण्ड, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम ऐमनपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सुनहेरा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम खनौरा, वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 आहनग्रान, जहांगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम मुरादाबाद, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 12.06.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-299 है, 140 व्यक्ति मेडिकल क्वारेनटाईन में है तथा 692 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 11 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।



गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई  
बुलन्दशहर  
दिनांक-जून 12, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

  
12-6-20  
पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी  
स्थानीय अभिसूचना इकाई  
बुलन्दशहर



उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 255/पी0एस0एम0एस0/2020 दिनांक 08-04-2020, 264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 एवं 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03 मई 2020 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा पत्रांक 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 18 मई 2020 में यथासंशोधन करते हुए लॉकडाउन दिनांक 30-06-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉव-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीडित/संकमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित कम सं0 38, 39, 40, 41, 42, 43 व 44 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 11 जून, 2020 की अपराह्न 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेन्ट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	मौ0पीरजादगान, खुर्जा	07-05-2020	को0 नगर खुर्जा
2	कायस्थवाडा (गुरुद्वारे के सामने), सिकन्द्राबाद	20-05-2020	सिकन्द्राबाद
3	चौक बाजार, बुलन्दशहर	21-05-2020	को0नगर, बु0शहर
4	खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद	23-05-2020	सिकन्द्राबाद
5	ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई	24-05-2020	डिबाई
6	ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	24-05-2020	सिकन्द्राबाद
7	आवास विकास प्रथम बुलन्दशहर	26-05-2020	कोतवाली नगर
8	मौ0 सरावगीवाडा, सिकन्द्राबाद	28-05-2020	सिकन्द्राबाद
9	मौ0 काजीखेल, डिबाई	29-05-2020	डिबाई
10	मौ0 मदनभट्ट, सिकन्द्राबाद	30-05-2020	सिकन्द्राबाद
11	मौ0 पीली कोठी (निकट जेवर अड्डा चौक) खुर्जा	30-05-2020	खुर्जा
12	मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर	30-05-2020	को0नगर, बु0शहर (चौकी डिप्टी गंज)
13	ग्राम मंडावरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	31-05-2020	सिकन्द्राबाद
14	ग्राम राशिदपुर वि0ख0 लखावटी तहसील सदर	01-06-2020	सलैमपुर
15	मौ0 पुरानी सच्ची मण्डी, औरंगाबाद	01-06-2020	औरंगाबाद
16	ग्राम ततारपुर वि0ख0 अगौता तहसील सदर	02-06-2020	को0नगर, बु0शहर
17	ग्राम कीरतपुर वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	03-06-2020	छतारी
18	ग्राम दस्तूरा वि0ख0 व तहसील खुर्जा	03-06-2020	ककोड़
19	ग्राम दरियापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	04-06-2020	को0देहात बु0शहर
20	मौ0छासियावाडा, सिकन्द्राबाद	04-06-2020	सिकन्द्राबाद
21	मौ0पीरगान, वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, बुलन्दशहर	05-06-2020	गुलावटी
22	मौ0 सर्राफा बाजार, गुलावटी तहसील सदर, बुलन्दशहर	05-06-2020	गुलावटी
23	मौ0 टीचर्स कालोनी, वार्ड सं0-21, सिकन्द्राबाद	06-06-2020	सिकन्द्राबाद
24	तुलसी मार्केट, कालाआम बुलन्दशहर	06-06-2020	को0नगर बुलन्दशहर
25	ग्राम सलैमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	07-06-2020	सिकन्द्राबाद
26	सलैमपुर रोड (डॉ0 कालीचरन के क्लीनिक के पास) सिकन्द्राबाद	07-06-2020	सिकन्द्राबाद
27	मौ0 तैलियान, नगर पंचायत ककोड़	07-06-2020	ककोड़
28	मौ0 बाजार कलों, डिबाई	07-06-2020	डिबाई



29	मौ० सेनीवाला, ग्राम अमरपुर वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना	08-06-2020	खानपुर
30	ग्राम खडूपुरा, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-06-2020	ककोड़
31	मौ० होली, ब्रह्मनान, खुर्जा	08-06-2020	को० खुर्जा नगर
32	माजरा नगला कोठी, ग्राम बोरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-06-2020	को० खुर्जा नगर
33	मौ० शिवाजी नगर, सिकन्द्राबाद	08-06-2020	को० नगर, सि०बाद
34	ग्राम गंगावास, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर	09-06-2020	अहमदगढ़
35	मौ० हंसिया गंज, डिबाई	09-06-2020	डिबाई
36	ग्राम गोविन्दपुर, वि०ख० व तहसील डिबाई	09-06-2020	डिबाई
37	एस०डी०एम० कालोनी, सिकन्द्राबाद	10-06-2020	सिकन्द्राबाद
38	मौ० बस स्टैण्ड, वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई	11-06-2020	डिबाई
39	ग्राम ऐमनपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
40	ग्राम ताजपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
41	ग्राम सुनहेरा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
42	ग्राम खनौदा, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	औरंगाबाद
43	मौ० आहनग्रान, जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	11-06-2020	जहाँगीराबाद
44	ग्राम मुरादाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	11-06-2020	सिकन्द्राबाद

मा० मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।  
 (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।  
 (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-

- (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।  
 (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-  
 (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।  
 (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

(5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए

- (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।  
 (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।  
 (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।  
 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।  
 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।



- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस या ALS से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मी0नं0-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पेट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्ताव-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

( रविन्द्र कुमार )  
जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

दिनांक: 11 जून, 2020

पृष्ठांक संख्या 274 / एस0टी0-डी0एम0/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- आयुक्त मेट्रो मण्डल मेट्रो।
- 6- उपायुक्त, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 7- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 9- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी कराये।
- 10- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 11- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 12- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सेनीटाइजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉण्टित कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
- 13- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चरपा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित कराये। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से सम्बन्ध स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 14- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ।
- 15- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरीस जनपद बुलन्दशहर।
- 16- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 17- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,  
बुलन्दशहर।



प्रारूप- 01 कोरोना (कोविड-19) के हॉटस्पॉट की सूचना जनपद बुलन्दशहर। दिनांक 12.06.2020 समय 07.00 बजे।


व.सं	हॉटस्पॉट परिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट/राजपत्रित पुलिस अधिकारी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट परिया से कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट परिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर का डिस्काल किया गया अथवा नहीं	कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोरोना संरिच्यों की टेरिटा रियाट				Institutional Quarantine व्यक्तियों की संख्या	शेरिकेटिंग की गयी या नहीं/शेरिकेटिंग किये गये स्थानों की संख्या
								पॉजिटिव	निगेटिव	रिपोर्टेड	Quarantine व्यक्तियों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	मौ० पीरजादागान, मौ० चौकटटा करवा खुर्जा नगर	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जो० मजि० (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	19222	95512	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	7		106	1	70	11	
2	मौ० रामगंजा क्षेत्राधिकारी सि०बाद	सिकन्दरबाद	श्री हरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1774	7978	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	4		17		6	2	
3	मौ० चौक बाजार बु०बाद।	को०नगर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	6005	14128	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	0		9			3	
4	मौ० चन्नीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्दरबाद	सिकन्दरबाद	श्री हरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स०मु०अ०/सीओ सि०बाद	2412	10313	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	0		17		17	2	
5	मौ० सरायपासी सिकन्दरबाद।	सिकन्दरबाद	श्री हरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स०मु०अ०/सीओ सि०बाद	737	3406	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	0		13			2	
6	ग्राम सलोडा डिहाई	डिहाई	श्री संजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिहाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिहाई।	775	4088	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	0		25		25	5	
7	आवास विकास-1 कोतवाली नगर	को०नगर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	1725	6756	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	2		29			2	
8	मौ० सारंगगंजा करवा सिकन्दरबाद।	सिकन्दरबाद	श्री हरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1474	6946	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	42		71		19	2	
9	मौ० काजी खेत डिहाई	डिहाई	श्री संजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिहाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिहाई।	465	2213	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	0		8		8	2	
10	मौ० देवीपुरा प्रथम बु०बाद।	को०नगर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	1443	5971	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	4		29		1	1	
11	मौ० मदनमन्दर, सिकन्दरबाद।	सिकन्दरबाद	श्री हरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1005	7319	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	6		4		5	2	
12	मौ० सीजी कंठी सिक्टर क्षेत्राधिकारी खुर्जा नगर।	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जो० मजि० (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	187	984	फायर टेंपलर से सेनिटाइजर/डिस्काल किया गया है	1		28		28	1	




क्र.सं	हॉटस्पॉट एरिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट / राजपत्रित पुलिस अधिकारी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट एरिया में कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट एरिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर का डिस्काल किया गया अथवा नहीं	कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोरोना सदिश्यों की डेटिंग रिपोर्ट				Institutional Quarantine व्यक्तियों की संख्या	सैरिकेटिंग की गयी या नहीं / सैरिकेटिंग किये गये स्थानों की संख्या
								पॉजिटिव	निगेटिव	रिपोर्ट सैडिंग			
13	ग्राम मण्डवावा, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	698	3115	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1		10			10	1
14	ग्राम रशिदपुर, ब्लौक लखवाटी, सलेमपुर	सलेमपुर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	1253	8315	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1		9			9	5
15	मौ0 पुरानी सखी मण्डी, औ0बाद	औरंगाबाद	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	761	3196	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1		12			12	7
16	ग्राम तारपुर बुलन्दशहर	को0नगर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	351	2301	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1		1			1	3
17	ग्राम कीरपुर, छत्तारी	छत्तारी	श्री संजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिवाई। / श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिवाई।	575	3913	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1		18			18	8
18	ग्राम दरुवा, ककोड	ककोड	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	771	3939	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	2		6			6	9
19	ग्राम दरियापुर कोतवाली देसल	कोतवाली देसल	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	600	2818	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1						1
20	मौ0 छारियावाडा सिकन्दराबाद	सिकन्दराबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	427	1942	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	28		98			98	1
21	मौ0 पीरवा, गुलावटी	गुलावटी	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	839	3990	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	7		22			22	3
22	मौ0 सरफक बाजार, गुलावटी	गुलावटी	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	600	2818	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	18						4
23	गुलावटी मार्केट बालाबास कु0बाद।	को0नगर	श्री अमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	203	874	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	2		6			6	2
24	टीरवी कलौरी, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	784	4045	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1						2
25	ग्राम सलेमपुर, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा0यु0310 / सीओ सि0बाद	784	4045	फायर टेण्डर से सैनिटाइजर / डिस्काल कराया गया है	1						2



क्र.0	हॉटस्पॉट परिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट/राजपट्टित पुलिस अधिकाशी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट परिया में कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट परिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर का डिडकाव किया गया अथवा नही	कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोरोना संदिग्धों की संख्या			Institutional Quarantine व्यक्तिगत की संख्या	शेरिकेडिंग की गती या शेरिकेडिंग किसे गते स्थानों की संख्या
								घोषित	निगटिव	रिपोर्ट धरुग		
39	ग्राम रामनपुर, को0देहात।	को0देहात	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	1					
40	ग्राम सुनहैरा, को0देहात	को0देहात	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	1					
41	ग्राम साजपुर, को0देहात	को0देहात	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	1					
42	ग्राम खनौदा, ओ0बाद।	ओरंगाबाद	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	1					
43	ग्राम मुसादाबाद, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री सविशकार (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल कौरा श्री सा0पु0ओ/श्रीओ रि0बाद			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	2					
44	मौ0 बस स्टैण्ड, दानपुर डिवाई।	डिवाई	श्री संजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिवाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिवाई।			फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिडकाव कराया गया है	1					
विधिव							12					

  
 सचिव पुलिस अधिकाश  
 दानपुर बुलन्दशहर।

  
 सिकन्दरा  
 दानपुर बुलन्दशहर।